संख्या-191/2019/3589/26-3-2019

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 26 अगस्त 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 की योजनान्तर्गत 28 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में पी0एल0सी0 आधारित बैट्रोलाजिकल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1188/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ/आर0ओ0/ 2019-20, दिनांक-25.07.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/ प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहत निर्माण कार्य मद में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में पी0एल0सी0 आधारित बैट्रोलाजिकल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु प्रति विद्यालय रू0-16.352 लाख की दर से कुल अवशेष 28 विद्यालयों हेतु कुल रू0-457.856 लाख (रू0 चार करोड सत्तावन लाख पचासी हजार छः सौ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1-उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

2-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

3-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रभावी नियमों/शासनादेशो/आदेशों मे निहित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन करते हुये न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर निर्धारित प्रक्रियानुसार सयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करायी जायेगी।

4-न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समयान्तर्गत शासन को समर्पित की जायेगी।

5-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2020 तक व्यय हो सके।

7-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहत निर्माण के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,
मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0स0-191/2019/3589/(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।